न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.एक्ट केसेज राजसमंद

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार ओझा, आरजेएस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक प्रकरण सं. 65/2026
(सीआईएस नं 53/2026)
(CNR No. RJRS010004992026)

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 216/2025, थाना चारभुजा

विक्रम सिंह पिता लाल सिंह राठौड़ निवासी नीचला रावला, साकरोदा पुलिस थाना राजनगर तहसील व जिला राजसमंद। ..... **प्रार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, राजसमन्द

..... **विपक्षी**

अपराध धारा 8/15, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थिति :–

1. श्री महिपाल सिह, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री गोपाल कृष्ण जाट, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांक : 25.03.2026

1. प्रार्थी विक्रम सिंह की ओर से यह आवेदन धारा 497, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 216/2025, थाना चारभुजा, अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट में जब्तशुदा वाहन स्पलेन्डर मोटरसाईकिल नम्बर **RJ.30.SC.4147** को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु पेश किया गया है। उक्त आवेदन की प्रति विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु कार्यालय से पत्रावली तलब कर उभय पक्ष को सुना गया।

2. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/वाहन स्वामी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी के वाहन स्पलेन्डर मोटरसाईकिल नम्बर **RJ.30.SC.4147** को पुलिस थाना चारभुजा द्वारा वजह सबूत अपने कब्जे तहवील में ले रखा है, जिसका प्रार्थी रजिस्टर्ड ऑनर है। प्रार्थी को उक्त वाहन की अपने दैनिक जीवन के उपयोग हेतु आवश्यकता है, इसके बिना प्रार्थी को काफी परेशानी व आर्थिक नुकसान हो रहा है। यह भी तर्क दिया कि उक्त वाहन के बिना वजह थाने में पड़े रहने से उसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना है, पुलिस को

उक्त वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा, अतः उक्त वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया।

3. इसके प्रतियुत्तर में विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त कार नंबर आरजे.27.सीसी.2817 को अपने स्वामित्व के वाहन मोटरसाईकिल नंबर आरजे. **RJ.30.SC.4147** से एस्कॉर्टिंग करने का गंभीर आरोप है एवं उक्त अपराध देश व समाज के प्रतिकूल है, विशेषतः युवा पीढ़ी में बढ़ रही नशे की दुष्प्रवृति एवं इसके दुष्परिणामों को देखते हुये उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी पर नहीं दिया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. हमने उभय पक्ष के तर्कों को सुना। केस डायरी व संबंधित विधि का समग्र रूप से अध्ययन व अवलोकन किया तो यह तथ्य समक्ष आता है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध अपने स्वामित्व के वाहन स्पलेन्डर मोटरसाईकिल नम्बर **RJ.30.SC.4147** से कार नंबर आरजे.27.सीसी.2817, जिसमें अवैध मादक पदार्थ 70.78 किलोग्राम अफीम डोडा चूरा परिवहन किया जा रहा था, की एस्कॉर्टिंग करने के आरोप में पुलिस द्वारा प्रार्थी के उक्त वाहन को जब्त किया गया है। प्रार्थी के कब्जेशुदा वाहन से एवं उसके चैतन्य आधिपत्य से किसी प्रकार के मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस द्वारा उक्त मोटरसाईकिल को मौके से ही जरिये फर्द जब्त किया जाना समक्ष आया है। उक्त वाहन के संबंध में अन्य कोई दावेदार न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। प्रकरण में संलग्न फर्द जब्ती के अनुसार प्रश्नगत वाहन जब्त किये जाने का तथ्य भी अंकित है। अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी की ओर से दौराने बहस यह तर्क दिया गया कि वाहन के खुले में पड़े होने से खराब होने की संभावना है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

5. हस्तगत मामले में हमारे समक्ष आये तथ्यों से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी कथित जब्ती के समय वाहन कार नंबर आरजे.27.सीसी.2817 में सवार नहीं था और ना ही प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी की गयी है। प्रार्थी की ओर से वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है, जिसके अवलोकन से उक्त वाहन स्पलेन्डर मोटरसाईकिल नम्बर **RJ.30.SC.4147** प्रार्थी विक्रम सिंह के नाम पर ही रजिस्टर्ड होना दृष्टिगोचर होता है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को विचार में लेते हुए हमारा मत इस प्रकार है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय **Sunder Bhai Amaba lal desai Vs State Of Gujrat AIR 2003 Sc 638** में दिये गये सिद्धान्तों की पालना में वाहन सुपुर्दगी का प्रार्थना पत्र निस्तारित करने के दौरान सभी पक्षकारों को समुचित रूप से सुन लिया गया है और हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान में पुलिस को वाहन की आवश्यकता नहीं है। वाहन के थाने में पड़े रहने से उसके अनुपयोगी व

खराब होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के समग्र तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का वाहन सुपुर्दगी का आवेदन पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी विक्रम सिंह पिता लाल सिंह राठौड़ निवासी नीचला रावला, साकरोदा पुलिस थाना राजनगर तहसील व जिला राजसमंद द्वारा प्रस्तुत यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 497, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर, आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी की ओर से 60,000/– रूपये का सुपुर्दगीनामा व इतनी ही राशि का जमानतनामा निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत कर प्रमाणित करा लिया जावे तो वाहन स्पलेन्डर मोटरसाईकिल नम्बर **RJ.30.SC.4147**, जिसके चेसिस नंबर **MBLHA10EJ8HK05383** तथा इंजन नंबर **HA10EA8HK09768** हैं, को प्रार्थी को बाद प्राप्ति रसीद अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न हो सुपुर्दगी पर दे दिया जावेः–

(1) यह कि प्रार्थी उक्त वाहन को जब भी न्यायालय तलब करे, न्यायालय में अपने खर्चे से प्रस्तुत कर देगा।

(2) यह कि प्रार्थी उक्त वाहन को अन्तरण, खुर्द बुर्द नहीं करेगा, न ही उसके कीमती कल–पुर्जे ही खुर्द–बुर्द या नष्ट करेगा तथा उसे चालू हालत में दुरस्त रखेगा।

(3) यह कि प्रार्थी उक्त वाहन का रंग–रोगन नष्ट नहीं करेगा और न ही ऐसा कोई कार्य करेगा, जिससे उक्त वाहन की पहचान प्रभावित हो।

(4) यह कि प्रार्थी उक्त वाहन को किसी अपराध हेतु प्रयुक्त नहीं करेगा और न ही करने देगा।

साथ ही थानाधिकारी, पुलिस थाना चारभुजा को **उक्त वाहन के बीमा हेतु निरीक्षण की अनुमति देकर वाहन सुपुर्द किये जाने से पूर्व वाहन के अद्यतन बीमा की प्रति प्राप्त करने** तथा वाहन के चारों ओर के रंगीन फोटोग्राफ लेकर, उक्त वाहन के अद्यतन बीमा की प्रति एवं फोटोग्राफ्स इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(सुनील कुमार ओझा)
विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. प्रकरण
(अपर सेशन न्यायाधीश)
राजसमन्द

7. आदेश आज दिनांक **25.03.2026** को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार ओझा)
विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. प्रकरण
(अपर सेशन न्यायाधीश)
राजसमन्द